न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रांजस्व अपील : 18/2025

जी.सी.एम.एस. : 2025/164

अपीलान्ट–	बनाम	रेस्पोडेन्ट–
हिरासिंह पुत्र कूपसिंह जाति रावत निवासी गांव सोड़ो की ढाणी, जोजावर, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली		1. राजस्थान राज्य जरिये सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. नायब तहसीलदार तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी.सिंघानिया।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 17/09/2025

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 84/2025 सरकार बनाम हिरासिंह में पारित आदेश दिनांक 16.06.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपूर्ण एवं अस्पष्ट अतिक्रमण रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विधिविरूद्ध तरीके से जैर अपील आदेश पारित किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में माप–चौक का कोई आधार नहीं है। खसरा संख्या 38 गै.मु.मगरा है तथा उसके आस–पास आबादी बसी हुई है, जिसके खसरा संख्या 37 है। खसरा संख्या 38 के पास गाव की सरहद स्थित हैं, जिसके पास अपीलार्थी की पत्नी कमलादेवी की सहखातेदारी भूमि स्थित है और उसी भूमि के पास में ग्राम पंचायत बांसौर द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में पट्टा संख्या 29 दिनांक 05.12.2021 एवं अपीलाण्ट की पत्नी के पक्ष में पट्टा संख्या 30 दिनांक 05.12.2021 जारी हो रखा है, जिस पर अपीलाण्ट काबिज है एवं मौके पर मेरी खेती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2006(1) RRT 661 Mohd. Ali vs State of Raj. & Ors. RRT 2003(2) page 1303 Jairam vs Mahesh Kumar & Anr., 2006(1) RRT 272 Hukam Singh & Anr vs State of Raj & Ors. पेश कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रक्रिया अपनाये पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का बांसौर की रिपोर्ट दिनांक 18.05.2025 के आधार पर खसरा संख्या 38 रकबा 0.0900 हैक्टयर किस्म गै.मु.मगरा में अपीलाण्ट हिरासिंह पुत्र कूपसिंह जाति रावत सा. देह ने सम्वत् 2082 में 10 फीट ऊंची पक्की दीवार एवं लोहे का गेट तथा 25 बाई 30 फीट में 4 फीट ऊंची दिवार बनाकर कब्जा कर रखा है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुये की गई है। अतः उक्त आदेश विधि संगत होने से अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 84/2025 सरकार बनाम हिरासिंह में पारित आदेश दिनांक 16.06.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की। पटवारी हल्का बांसौर ने अपीलाण्ट द्वारा खसरा संख्या 38 रकबा 0.0900 हैक्टेयर पर 10 फीट ऊँची पक्की दीवार एवं लोहे का गेट तथा 25 X 30 फीट में 4 फीट ऊँची दीवार बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने बाबत् टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष पेश की, जिस पर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने राजस्व भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया। 91 एल. आर.एक्ट. के अधीन नोटिस प्रारूप 'क' में अपीलाण्ट हिरासिंह पुत्र कूपसिंह जाति रावत निवासी सोड़ो का ढाणा को दिनांक 26.05.2025 को नोटिस जारी किया गया, जो मातहत अदालत की आदेशिका से स्पष्ट है। नोटिस में स्पष्ट उल्लेखित है कि "आप दिनांक 16.06.2025 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दे अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 16.06.2025 को 10 बजे पूवाह्न उपस्थित होवे तथा यह हेतुक दर्शित करें कि उक्त भूमि पर उक्त कृषि वर्ष के दौरान अतिचार करने के कारण आप पर क्यों न शास्ति अधिरोपित की जावे।" उक्त नोटिस अपीलाण्ट की बहू द्वारा बाद तामिल प्राप्त हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.06.2025 के अनुसार अपीलाण्ट मातहत न्यायालय में उपस्थित थे और उन्होनें जैर आराजी पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया जिस बाबात् अपीलाण्ट के आदेशिका पर हस्ताक्षर भी है। अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह कहना कि उनहें साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया, जब अपीलाण्ट स्वयं ने ही न्यायालय में उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया हो तो इस स्थिति में साक्ष्य पेश करने का तार्किक अर्थ नहीं रह जाता हैं। साथ ही जो तथ्य अपीलाण्ट स्वयं द्वारा स्वीकार कर दिया गया हो तो उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2003(3) Raj. 1891 Madan lal vs Legal Representatives of Late Ram Prasad के अनुसार Evidence Act, 1872, Sec. 58-Facts admitted need not be proved-When there is a very specific and categorical admission of fact of the parties then that admission can be used against the party making the admission. उपरोक्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 91 एल.आर.एक्ट. का नोटिस निर्धारित प्रारूप में विधिनुसार,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

विधिवत तरीके से जारी किया गया तथा अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर अतिक्रमण स्वीकार किया, जिसके उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो विधिसम्मत है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट का दौराने बहस यह भी उज्र रहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि जैर आराजी अपीलाण्ट की अतिक्रमित भूमि नहीं है, साथ ही पटवारी द्वारा किस आधार पर नाप–चौक किया गया यह भी स्पष्ट नहीं है। साधारणतयाः पटवारी द्वारा रिपोर्ट बनाते समय राजस्व रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है, जो आधिकारिक और विधिवत दस्तावेज होते हैं। ये रिकॉर्ड सरकार द्वारा मान्य होते हैं और भूमि के वास्तविक स्थिति का प्रमाण होते हैं। पटवारी नाप–चौक करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है जिसमें जमीन की माप, सीमा एवं दस्तावेजों के मिलान शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया रिकॉर्ड–बेस्ड होती है। इस स्थिति में, पटवारी हल्का की रिपोर्ट को उचित माना जा सकता है क्योंकि वह राजस्व रिकॉर्ड और नाप–चौक के आधार पर तैयार की जाती है। यदि विपक्षी अधिवक्ता को यह लगता है कि पटवारी रिपोर्ट गलत है, तो उन्हें ठोस प्रमाणों एवं दस्तावेजों के साथ तर्क प्रस्तुत करने चाहिये केवल अनिर्दिष्ट आरोपों के आधार पर रिपोर्ट को मिथ्या नहीं समझा जा सकता। चूंकि पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट विधिवत जांच के पश्चात् तैयार की जाती है, जिसे आधारहीन कहना उचित नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त ग्राम सोडो का ढाणा तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा संख्या 38 रकबा 4.4895 किस्म गै.मु.मगरा की भूमि पर राजस्व रेकर्ड में राजकीय खाते में दर्ज है तथा मातहत न्यायायल ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्णय दिनांक 16.06.2025 के द्वारा अपीलाण्ट हिरासिंह पुत्र कूपसिंह को खसरा संख्या 38 पर अतिक्रमी घोषित कर उक्त आराजी पर अवैध कब्जा करने पर बतौर लगान शास्ति के वार्षिक लगान का 50 गुणा अनुसार रूपये 50/– अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये। जैर अपील आराजी की किस्म गै.मु.मगरा है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खली कराने के निर्देश दिये गये है। इसी तरह 2019 आर.आर.डी. धरमा बनाम स्टेट आफॅ राजस्थान के मामले में तहसीलदार द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्ध बेदखली का आदेश दिया गया। राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी भी खारिज कर दी गई। पुनः कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने पर भी बेदखली का आदेश दिया गया। तहसीलदार के बेदखली के आदेश को विधिमान्य ठहराया गया क्योंकि (i) वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, (ii) प्रार्थीगण का स्वत्व नहीं था। इसी प्रकार माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1997) 10 SCC 684 UOI vs M/S Col. Instrument Pvt. Ltd के अनुसार सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा राष्ट्र के संसाधनों पर अतिक्रमण है। साथ ही Unauthorized possession on government land is liable to be removed under Section 91 irrespective of the duration of encroachment. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की मंशा भी राजकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करना है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित प्रक्रिया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

अपनाई जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2006(1) RRT 661 Mohd. Ali vs State of Raj. & Ors. RRT 2003(2) page 1303 Jairam vs Mahesh Kumar & Anr., 2006(1) RRT 272 Hukam Singh & Anr vs State of Raj & Ors. अवश्य सम्मानीय है परन्तु उक्त समस्त न्यायिक निर्णयों में एक तथ्य समान रूप से प्रकट होता है कि जिसमें विवादित आराजी के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय यथा नगरपालिका/ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जाना पाया गया है। भूमि की किस्म एवं अधिकार अभिलेख में भूमियों का स्वामित्व राजस्व ही दर्शाया गया है। विधिक प्रावधानों के अनुसार जब तक भूमियां स्थानीय निकाय के व्ययाधीन दर्ज ना हो जावे तब तक उक्त भूमियों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने का अधिकार राजस्व अधिकारियों की अन्तर्निहित शक्तियों में समाहित है। इस मामलें में अपीलाण्ट द्वारा एक ओर प्रश्नगत भूमि का पट्टा स्वयं के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाना बताया है वही दूसरी ओर स्वयं की खातेदारी भूमि पर कब्जा होना बताते हुये धारा 91 के तहत की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही को प्रश्नगत किया है। इस आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलाण्ट द्वारा उपुर्यक्त वर्णित तथ्य रेखांकित किये गये है वे परस्पर विरोधाभाषी है क्योंकि खातेदारी भूमि पर पट्टा जारी किये जाने की अधिकारिता पंचायत की नहीं है एवं यदि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि पर कब्जा होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कब्जे को राजकीय भूमि पर होना माना है तो इस स्थिति में अपीलाण्ट के पास अपनी भूमि के सीमाज्ञान करवाये जाने सम्बन्धि उपचार पृथक से नियमों में उपलब्ध हैं। जिन तथ्यों का अपीलाण्ट द्वारा इस अपील में जिक्र किया गया है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी नहीं उठाया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया जो अपीलाण्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण की ताईद नहीं करता हो। इन समस्त कारणों से यह विश्वास योग्य तथ्य नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुये जैर अपील आदेश पारित किया हो। यदि अपीलाण्ट उक्त कब्जा अपनी खातेदारी भूमि परी ही होना मानता है तो इस सम्बन्ध में विधि में पृथक से उपचार प्रविधित है जिसके लिये पृथक से सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जा सकती है। इस अपील के जरिये अपीलाण्ट को किसी प्रकार की राहत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 84/2025 सरकार बनाम हिरासिंह में पारित आदेश दिनांक 16.06.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली